प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 13.05.2026

- **थाना मूसानगर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी करने वाले 01 अभियुक्त को चोरी के ₹15800/- व घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार के साथ किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 12.05.2026 को थाना मूसानगर पर वादी श्री प्रताप सिंह पुत्र रामसेवक निवासी ग्राम सलारपुर थाना देवराहट जनपद कानपुर देहात द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना मूसानगर पर मु0अ0सं0 0048/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम स्विफ्ट डिजायर गाड़ी नम्बर UP32LF1756 पर सवार दो पुरुष, एक महिला व चालक नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 12/13.05.2026 की रात्रि में चैकिंग के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर हलिया मोड़ के आगे वैशाली ढाबा के पास अभियुक्त करन पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम ठाकुरगंज नटपुरवा बालामऊ थाना कछौना जनपद हरदोई को पुलिस हिरासत में लिया गया तथा जामा तलाशी से अभियुक्त के पास से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित ₹15800/- बरामद हुये। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2)/347(1) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

करन पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम ठाकुरगंज नटपुरवा बालामऊ थाना कछौना जनपद हरदोई, उम्र 23 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0048/2026 धारा 303(2)/317(2)/347(1) बीएनएस थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात,
2. मु0अ0सं0 148/2022 धारा 323/ 379/ 411/ 504 भा0द0वि0 थाना बेनीगंज जनपद हरदोई,
3. मु0अ0सं0 181/2022 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना बेनीगंज जनपद हरदोई,
4. मु0अ0सं0 182/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बेनीगंज जनपद हरदोई,
5. मु0अ0सं0 224/2018 धारा 395/412/120बी भा0द0वि0 थाना बिलग्राम जनपद हरदोई,
6. मु0अ0सं0 234/2018 धारा 307 भा0द0वि0 थाना बिलग्राम जनपद हरदोई,
7. मु0अ0सं0 94/2019 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना बिलग्राम जनपद हरदोई,
8. मु0अ0सं0 66/2023 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना कछौना जनपद हरदोई,
9. मु0अ0सं0 99/2021 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना बिलग्राम जनपद हरदोई,
10. मु0अ0सं0 235/2021 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना पारा जनपद लखनऊ,

बरामदगी-

1.चोरी के ₹15800/-

2. स्विफ्ट डिजायर गाड़ी नम्बर UP32LF1756 (एमवी एक्ट में सीज)

पूछताछ- अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि साहब मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था तब मैने एक व्यक्ति को रास्ता पूछने के बहाने भोगनीपुर के पास से अपनी गाड़ी में बैठा लिया था। गाड़ी पर मैने पहले से ही भोगनीपुर से दो पुरुषों व एक महिला को उनके पास से चोरी करने के उद्देश्य से बैठाया था परन्तु वह लोग पीछे वाली सीट पर बैठ गये थे इसलिए मैं उनके पास से चोरी नही कर पाया था। परन्तु भोगनीपुर के पास से बैठाया गया व्यक्ति मेरी गाड़ी की आगे वाली सीट पर बैठ गया था तथा उसके द्वारा पहने गये लोवर की दायीं जेब में रुपये थे। जैसे ही वह व्यक्ति सीसे की तरफ देखने लगा था तो मैने आगे बैठे व्यक्ति की जेब से ₹17000/- चोरी कर लिये थे। फिर वह व्यक्ति ग्राम सराय के पास उतर गया था। कुछ दूरी चलने के बाद मेरी कार का टायर फट गया था तो बाकी तीनो लोग मेरी गाड़ी से उतरकर चले गये थे जिनको मैं नही जानता हूँ। फिर मैं गाड़ी की स्टेपनी बदलने के लिए जंगल की तरफ ले गया था। फिर मुझे रोड पर पुलिस की गाड़ी दिखायी दी इसलिए मैं वही पर डर की वजह से छुपा रहा था। अब रात में गाड़ी की स्टेपनी बदलकर अपने घर जा रहा था कि आप लोगो ने मुझे पकड़ लिया है। पकड़े गये व्यक्ति से बरामद रुपये के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो बताया कि मैने ₹17000/- चोरी किये थे जिसमे से ₹1200/- मैने खाने पीने में खर्च कर दिये हैं तथा मेरे पास ₹15800/- है। पकड़े गये व्यक्ति से गाड़ी के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो बताया कि साहब यह गाड़ी मेरे नाम पर है जिसका वास्तविक नम्बर UP32MH6220 है। परन्तु मैने पकड़े जाने से बचने के लिए मैने अपनी गाड़ी पर दूसरी गाड़ी का नम्बर UP32LF1756 लगा रखा है।

गिरफ्तार करने वाली थाना मूसानगर पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 रीना गौतम
2. उ0नि0 श्री अवनीश कुमार
3. का0 642 गोविन्द यादव
4. रि0का0 852 यक्षेश कुमार
5. रि0का0 436 देवेश कुमार